सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8/1/19

पत्रावली पेश

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा [illegible] के खसरा नं. 100, 102 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। इन खेतों में अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खेत आबादी के नजदीक होने की वजह से कीमती हो गया है जिस कारण अप्रार्थीगण नाजायज कब्जा कर जमीन हड़पना चाहते हैं। वकील प्रार्थी ने मय नजीरात हवाला पेश किये। जिनका अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र दिनांक 12-12-17 को खारिज कर दिया गया था जिसकी कोई अपील प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। उक्त वर्णित खसरा नं. की जमीन दिनांक 9.05.1979 को हिस्सानामा कर अप्रार्थीगण को बेचान कर दी थी तब से लेकर आज दिन तक अप्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा पानी बिजली के कनेक्शन है। जब दिनांक 12-12-2017 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्णय हो चुका है तब उसकी अपील करनी चाहिए थी नहीं ना करके यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्य से प्रस्तुत किया है।

उभय पक्षकारान की बहस के तर्कों पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। इन्हीं खसरा नम्बरान से संबंधित एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-12-2017 को इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। जब इसी नम्बर के खसरा का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है तो इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बेनतीजा शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner